The Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin): Vb ? G Ram G (Viksit Bharat- G Ram G) Bill, 2025- Introduced

माननीय अध्यक्ष : आइटम नंबर 20 - श्री शिवराज सिंह चौहान।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री; तथा ग्रामीण विकास मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> ?कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे संसक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

? (व्यवधान)

SHRI T. R. BAALU (SRIPERUMBUDUR): Sir, at the introduction stage itself, I oppose the Bill. Mahatma Gandhi once said ?India lives in villages?. He also dreamed that the economic freedom should be given to the poorest of the poor. Keeping this in his mind, Dr. Manmohan Singh, during UPA?s period, had brought a novel scheme under MGNREGA and because of this Scheme, crores and crores of poor people have benefited in the country. They have not only received the remuneration, but have also enjoyed the benefit of this scheme for the work of upto 100 days.

Now, in the name of Mahatma Gandhi ji, this Government, because of hatredness, is going to bring a new Bill.? (*Interruptions*) This is very bad.? (*Interruptions*) The father of the nation is being ridiculed by this Government. ?? (*Interruptions*) I oppose this Bill. ? (*Interruptions*)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा (वायनाड) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं नियम 72 (1) के तहत इस विधेयक को पुर:स्थापित करने पर अपनी सख्त आपत्ति दर्ज करना चाहती हूं। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून पिछले बीस सालों से ग्रामीण भारत को रोजगार देने में और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सक्षम रहा है। यह इतना क्रांतिकारी कानून है कि जब इसको बनाया गया, तो सदन के सभी राजनीतिक दलों ने इसे पूरी सहमति दी। इसके द्वारा 100 दिन का रोजगार इस देश के हमारे गरीब से गरीब भाई-बहनों को मिलता है।

हम सब जनप्रतिनिधि हैं। जब हम अपने-अपने क्षेत्र में जाते हैं, आप भी जानते हैं कि दूर-दूर से हमें दिख जाता है कि मनरेगा का मजदूर कौन है। वह सबसे गरीब होता है, उसके चेहरे पर झुर्रियां होती हैं, हाथ मिलाएं तो हाथ पत्थरों की तरह होते हैं। ? (व्यवधान) सर, मैं वहां तक पहुंच रही हूं, मुझे पहुंचने दीजिए। एक मिनट लूंगी, मुझे पहुंचने दीजिए। उनके हाथ पत्थरों की तरह कठोर होते हैं, क्योंकि वे इतनी मजदूरी करते हैं। मेरा इस बिल पर ऑब्जेक्शन है। यह जो कानून है, इसके तहत हमारे गरीब भाई-बहनों को जो रोजगार की कानूनी गारंटी मिलती है, जो अधिकार मिलता है, वह इस योजना में मांग के आधार पर संचालित होता है। इसका मतलब है कि जहां रोजगार की मांग है, वहां इस योजना द्वारा 100 दिनों का रोजगार देना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ केंद्र से इसके लिए जो पूंजी दी जाती है, वह भी मांग पर आधारित होती है यानी इस योजना के लिए जितने पैसे जहां भेजने होते हैं, वहां जमीनी परिस्थितियों और मांग के आधार पर निर्धारित होता है।

महोदय, इस विधेयक की अनुसूची-1 में उपनियम 4(1) और 4(2) द्वारा केंद्र को इजाजत दी गई है कि वह पहले से ही निर्धारित कर ले कि कितनी पूंजी कहां भेजी जाएगी। इससे संविधान के 73वें संविधान संशोधन को नज़रअंदाज किया जा रहा है। इसके जरिए ग्राम सभाओं को इस योजना की मांग को जमीनी परिस्थितियों के आधार पर तय करने का पूरा अधिकार दिया गया था लेकिन आज वह अधिकार कमजोर किया जा रहा है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: जब इस पर चर्चा होगी तब आप पूरी डिटेल में अपनी बात बोलना।

? (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा : महोदय, संविधान की मूल भावना है कि हर व्यक्ति के हाथ में शक्ति होनी चाहिए, वही मूल भावना पंचायती राज में है। यह विधयेक इसी मूल भावना का विरोध है।

महोदय, इस विधेयक के प्रबंधनों में रोजगार का कानूनी अधिकार कमजोर हो रहा है और यह संविधान के विपरीत है। हमारे इसी सदन ने यह कानून बनाया था और इसी सदन ने यह अधिकार जनता को दिया था। महात्मा गांधी मनरेगा योजना में 90 प्रतिशत अनुदान केंद्र से आता था और इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में 60 प्रतिशत आएगा, अब इसे घटाया गया है। इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार पड़ेगा, खास तौर से वे राज्य जिनकी अर्थव्यवस्था केंद्र की ओर से जीएसटी बकाये के इंतजार में है।

महोदय, इस विधेयक द्वारा केंद्र का नियंत्रण बढ़ाया जा रहा है और जिम्मेदारी घटायी जा रही है। 100 दिन रोजगार को 125 दिन करने की बात कही है, लेकिन इसमें वेतन और मजदूरी की बढोतरी की कोई बात नहीं कही गई है। यह सही

बात है कि अभी तक जो बकाया है, वही पूरा नहीं हुआ है।

महोदय, मैं आखिरी बात कहना चाहती हूं कि हर योजना का नाम बदलने की सनक समझ में नहीं आती है। जब भी यह किया गया है तब सरकार को पैसे खर्च करने पड़ते हैं। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप नियम 72 में विरोध प्रकट करें।

? (व्यवधान)

श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा : महोदय, मेरा आखिरी प्वाइंट है कि बिना चर्चा के और बिना सदन की सलाह लिए इस तरह से जल्दी-जल्दी में विधेयक पास नहीं होना चाहिए। यह विधेयक वापस लिया जाना चाहिए और इसके बदले में सरकार को नया विधेयक पेश करना चाहिए। ? (व्यवधान) महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और पूरे देश की यही भावना है।? (व्यवधान)

महोदय, आखिरी बात यह है कि गहन जांच-पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधेयक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मैं किसी भी माननीय सदस्य को बीच में नहीं रोकना चाहता हूँ, लेकिन सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है। अन्यथा, माननीय सदस्य सदन के बाहर कहेंगे कि हमें माननीय अध्यक्ष ने बोलने नहीं दिया। सदन नियमों और प्रक्रियाओं से चलता है और नियम 72 सभी माननीय सदस्यों ने पढ़ा है।

मैं सभी को मौका दूँगा, इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूँगा कि नियम 72 के अंतर्गत विषयों पर ही अपनी बात को फोकस रखें। जब इस पर डिटेल में चर्चा होगी, तो आप उस विषय पर अपनी विस्तृत चर्चा कर सकते हैं।

प्रो. सौगत राय जी।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, under Rule 72(1), I oppose the introduction of the Viksit Bharat ? Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission

(Gramin): VB ? G RAM G Bill.

Sir, I oppose the idea of replacing the father of the nation, Mahatma Gandhi?s name with G RAM G. Ram ji is respected by people in the country but to me, Mahatma Gandhi is much more relevant. This distortion of the name of MGNREGA is something we object to.

We have other points of objections like, instead of being a demand-driven scheme, it has become a supply-driven scheme and the States are having to cough up 40 per cent of the total

allotment, which will pose a great pressure on the States? finances. That is why, I think, instead of discussing it here, we should refer it to a Select Committee, which can go into the merits of the Bill.

That is why, I, again, strongly oppose it. This is the first Bill of Shri Shivraj Singh Chouhan. ? (*Interruptions*) I think he should go back and send the Bill to a Select Committee. I oppose the introduction of the Bill.

माननीय अध्यक्ष : श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर ? उपस्थित नहीं।

श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन जी, कृपया आप अपनी बात संक्षेप में रखें। जो विषय एक माननीय सदस्य ने बोल दिया है, कृपया उसे रिपीट न करें।

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, I will fully confine to Rule 72.

Sir, I would like to first speak regarding the name of the Bill. Kindly go through Article 51A, that is, the Fundamental Duties of a Citizen. It says that it shall be the duty of every citizen of India to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag, and the National Anthem. Clause (b) of Article 51A says, ?To cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom?.

Sir, who led the national struggle for freedom? That was none other than the late Mahatma Gandhi. The name of Mahatma Gandhi, the father of the nation, is being removed from the Act as well as from the Scheme. ? (*Interruptions*) I feel that this is an insult to the Father of the Nation.

Sir, my point is this. Hon. Minister, Chouhan ji, kindly explain it. We have no objection in putting the name ?Ram?. You can put it in any other place. But my simple and logical question to the hon. Minister is this. Please logically explain to the House as to why you are removing the name of the father of the nation from the Act and the Scheme.

Sir, I have a second point to make which is purely within Rule 72. ? (*Interruptions*) As per the Act of 2005, this is a statutory right to work. But now, as per Clause 3 of the Bill, it is very specific that it is none other than a Centrally-sponsored Scheme. Previously, it was a demand-driven Scheme. Now, it is purely a Centrally-sponsored Scheme and the amount and the annual budget will be described by the Central Government and that would be provided. ? (*Interruptions*)

Sir, my third point is this. This is a technical objection. I am talking about Schedules. Kindly go through the Schedule. Hon. Speaker, Sir, may kindly see the legislative drafting. Kindly go through the First Schedule. If you go through Schedule I, it is just like an Act. Actually, what is the purpose of a Schedule? A Schedule is meant to make some programmes or some actions to be taken and for related matters. But if you go through the Schedule of the Bill, it is just like a Bill; it has clauses, and the aims and objects of the Bill are being well explained in the Schedule. Is this the proper way of legislative drafting of a Bill, by appending such content to the original Bill as Schedule I and thereby making a mockery of legislative drafting? Is it permissible? Kindly go through Schedule I of the Bill. There is a specific purpose for a Schedule. Unfortunately, that has not been complied with.

The last point is that the State Government will be burdened with a huge financial liability. As a result, the significance of the scheme will be lost because, in Kerala, I know that about Rs. 2,500 crore, according to this calculation, the State has to find out, but from where? That means, finally, the work will be affected and loss of employment will occur.

Therefore, kindly withdraw the Bill. I once again oppose the Bill and request the Government to withdraw the Bill. Thank you.

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, बैठे-बैठे टिप्पणी क्यों करते हैं? मैं चाहता हूँ कि सदन में हर विषय पर व्यापक चर्चा हो । नियम 72 के बाद भी, मैं आप लोगों को बोलने का मौका दे रहा हूँ। सदन के अन्दर डिटेल में चर्चा करने के लिए मैं हमेशा प्रयास करता हूँ। आप लोग नियम-प्रक्रियाओं के तहत अपनी-अपनी बात कहें।

DR. SHASHI THAROOR (THIRUVANANTHAPURAM): Thank you, Mr. Speaker, I would also like to oppose the introduction of the proposed Bill, The Viksit Bharat ? G Ram G Bill, which represents a deeply regrettable and retrograde step for our nation and our nation?s commitment to the welfare of its most vulnerable citizens.

My first objection, Mr. Speaker, as with others, is the ill-advised decision to remove the name of the father of the nation, for the reasons already given, which I will not repeat. This is not just an administrative tweak; it is an assault on the very spirit and philosophical foundation of this crucial programme.

Mahatma Gandhi?s vision of *Ram Rajya* was never a purely political programme. It was a socio-economic blueprint rooted in the empowerment of villages, and his unwavering faith in *Gram*

Swaraj was part of his vision of *Ram Rajya*. So, the original Act, by bearing his name, acknowledged his profound conviction that true employment guarantee and upliftment must flow from the grassroots, embodying his principle of ?the last man first?.

To remove the name of Mahatma Gandhi is to strip the Bill of its moral compass and its historical legitimacy, and then to have two languages in the title, merely to make the acronym ?G RAM G?, is not just a violation of Article 348, as pointed out in the previous discussion, but it also reminds me of a song, of a lyric from my childhood.

हम लोग बचपन में गाते थे-

देखो ऐ दीवानों तुम ये काम न करो,

राम का नाम बदनाम न करो।

We must also seriously question the legislative intent behind the financial restructuring proposed in the Bill. The proposal to impose 40 per cent of the financial burden directly on the State Governments is not just fiscally irresponsible, but it is a measure that threatens to make the entire programme unviable.

This sudden and massive shift in liability will inevitably make it impossible for poorer States. It will lead to delays in wage payments, reduced days of work, and ultimately the destruction of the Scheme itself. It is a violation of fiscal federalism, which is why I do not think we have the legislative competence to do that.

Finally, it also makes the scheme contingent upon executive notification, allowing the Union to decide when and where the scheme will operate. This fundamentally alters the ratio of the programme.

संसदीय कार्य मंत्री; तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका दिल बड़ा है। आपने बिल के इंट्रोडक्शन के समय में इतने लोगों को बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आप सबको हमेशा बोलने का मौका देते हैं।

हम टाइमबाउंड हैं। सरकार के पास बहुत-से बिज़नेसेज हैं।? (व्यवधान) ये भाग जाएंगे।? (व्यवधान) ये चर्चा की मांग करते हैं, उसके बाद भाग जाते हैं।? (व्यवधान) ऐसा नहीं होता है।? (व्यवधान)

देशहित में जो बिल्स पारित करने हैं, उनको तो हम पारित करके ही रहेंगे ।? (व्यवधान) लेकिन आप लोग बहस में हिस्सा लीजिए ।? (व्यवधान) हमें कोई आपत्ति नहीं है ।? (व्यवधान) हम लोग सुनने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं ।? (व्यवधान) मेरा प्वाइंट सिर्फ लिमिटेड है । जब आप नियम 72 के तहत बिल के पुरःस्थापन का विरोध करते हैं, तो अध्यक्ष महोदय ने स्पेसिफिकली बार-बार याद दिलाया है । We have to oppose the introduction of the Bill only on the ground of the competence of legislation making of this House. आप इस सदन को लेजिस्लेटिव कंपिटेंस तक ही सीमित रखेंगे, तो ठीक रहेगा । ? (व्यवधान)

प्रेमचन्द्रन जी, आप अनुच्छेद 343 की बात कर रहे हैं । आप ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के बारे में जानते हैं । हम सब जानते हैं कि भारत संघ का कामकाज दो भाषाओं में होता है, जो कि हिन्दी और अंग्रेजी है । हम दोनों भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं । यह प्रथा पहले से चली आ रही है । आप इसको अनावश्यक रूप से नियम 72 के तहत क्वोट कर रहे हैं । मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप ऐसा बोल सकते हैं । मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप सिर्फ इतना निवेदन करिए कि वे आपकी बात सुन लें ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, अगर ये लोग अनलिमिटेड बोलते जाएंगे, तो सरकार को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा । चूंकि नियम 72 का दुरुपयोग किया जा रहा है, यह ठीक बात नहीं है । सबको समय की कीमत समझनी चाहिए । ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया आप बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री किरेन रिजिजू : महोदय, ये बार-बार क्यों खड़े हो रहे हैं?

माननीय अध्यक्ष : इनको बार-बार खड़े होने की आदत है ।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : मेरा मानना है कि सभी दल के सदस्य एक-एक मिनट में अपने विचार रख दें । जब वक्फ (संशोधन) विधेयक पुरःस्थापित हो रहा था, तब भी हमने यह कोशिश की थी ।

माननीय मंत्री जी, आज तो संक्षिप्त में बोलेंगे । जब बिल पर विचार होगा, तब विस्तार से बोलेंगे, लेकिन वे आज भी इस विषय पर बोलेंगे ।

श्री के. सी. वेणुगोपाल जी ।

SHRI K. C. VENUGOPAL (ALAPPUZHA): Sir, thank you very much. Sir, I rise to oppose this Bill under Rule 72. Basically, this is also a fundamental attack on the Constitution. Basically, MNREGA is the right to employment for the common people of this country. That guarantee is therefore the employment. That guarantee now exists only on paper because of this Bill.

Sir, already many Members have mentioned that this is a demand driven programme. This destroys the universal coverage. The hollow promises of 125 days is not going to happen at all because of the shift of the financial burden to the States. Forty percent of the fund has to be borne by the States. My point is this. The father of the nation Mahatma Gandhi led the freedom struggle. Hon. Minister Shivraj Chouhan Ji, your name will be remembered as the Minister who removed the father of the nation?s name. Your name will be remembered. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष : आपका विरोध क्या है?

SHRI K. C. VENUGOPAL: Sir, every day, our hon. Prime Minister is talking about Mahatma Gandhi Ji in a big way. Now, you are bringing a legislation to remove his name. ? (*Interruptions*)

श्री धर्मेन्द्र यादव (आज़मगढ़) : अध्यक्ष जी, ?महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम? के स्थान पर जो संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। इस विरोध के कई कारण हैं। हमारे देश में लगातार बहुत सारी बातें की जाती हैं कि केन्द्र सरकार आर्थिक तौर पर इतनी मजबूत हो गई है, वह इतना सहयोग कर रही है। बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट से लगातार प्रदेशों पर आर्थिक बोझ बढ़ाया जा रहा है। केन्द्र सरकार अपना आर्थिक बोझ हल्का करती जा रही है व अपनी जिम्मेदारी घटाती जा रही है। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम का सम्मान पूरा देश करता है। गांधी जी ने अपने आखिरी शब्द ?हे राम? कहे थे। कम से कम महात्मा गांधी जी का अपमान मत करिए, यह हमारी प्रार्थना है। जब हम पूरी दुनिया में कहीं भी जाते हैं, तो वहां गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं, लेकिन देश के अंदर बापू का अपमान हो रहा है। इस अपमान को हम समाजवादी लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

माननीय मंत्री जी, आप इस तरह के बिल को वापस लीजिए, नहीं तो इतिहास में आपका नाम काले अक्षरों से लिखा जाएगा। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया सुले जी।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सुप्रिया सुले जी, क्या आप बोलना चाहती हैं?

? (व्यवधान)

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बड़ी विनम्रता से सरकार से विनती है। मैं समझ सकती हूं। ? (व्यवधान) जैसे साल दर साल आगे बढ़ते हैं और अभी एआई आया है, उस हिसाब से पॉलिसी में बदलाव लाना चाहिए। ? (व्यवधान) हम पॉलिसी में बदलाव के खिलाफ नहीं हैं। समय-समय पर हर बिल को देखा जाना चाहिए और उसके लिए सोचना चाहिए। मेरी सरकार से सिर्फ यही विनती है कि आप इसे स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। उस पर संक्षेप में सारी चर्चा हो। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, काम का महत्व होता है। ?कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।?

इसलिए सरकार से मेरी विनती है। उससे पहले ऑब्जेक्शन है और हम विरोध करते हैं कि आप इससे महात्मा गांधी जी का नाम नहीं निकालेंगे। हम पूरी ताकत से इसका विरोध करेंगे। मेरी इनसे बड़ी विनम्रता से विनती है कि आप प्लीज़ इस पर चर्चा कराइए और इस पॉलिसी डिसीज़न में आप जो भी बदलाव ला रहे हैं, उसे आप स्टैंडिंग कमेटी में भेजिए। सरकार इसे फोर्स मत करे। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सबके विचार आ गए हैं।

माननीय मंत्री जी।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष जी, महात्मा गांधी जी हमारे दिलों में बसते हैं। ? (व्यवधान) महात्मा गांधी जी और पंडित दीनदयाल जी का यह संकल्प था कि जो सबसे पीछे हैं और जो सबसे नीचे हैं, उनका कल्याण सबसे पहले किया जाए। ? (व्यवधान) हम केवल महात्मा गांधी जी को मानते ही नहीं हैं, हम महात्मा गांधी जी की बात भी मानते हैं। ? (व्यवधान) उन्हीं के विचारों पर आधारित तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर आधारित गरीब कल्याण की कई योजनाएं यह सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चला रही है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक मनरेगा का सवाल है, कांग्रेस तो केवल मनरेगा लेकर आई थी और यूपीए की सरकार ने 2 लाख 13 हजार 220 करोड़ रुपए मनरेगा पर खर्च किए थे, लेकिन हमने 8 लाख 53 हजार 810 करोड़ रुपए गरीबों के कल्याण के लिए खर्च किए हैं और इस योजना को और मजबूत करने की कोशिश की है। ? (व्यवधान)

12.58 hrs

At this stage, Sushri S. Jothimani, Shri T. M. Selvaganapathi, Sushri Mahua Moitra, Shri Mohibbullah and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तकलीक क्या है? ? (व्यवधान) हम 100 दिनों के काम की गारंटी के बजाय 125 दिनों के काम की गारंटी देने का कार्य रहे हैं। ? (व्यवधान) यह केवल कोरी गारंटी नहीं है, उसके लिए 1 लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया है। ? (व्यवधान) इसके पहले रोजगार की कई योजनाएं आईं। एक योजना का नाम था - ?जवाहर रोजगार योजना? । बाद में कांग्रेस ने ही ?जवाहर रोजगार योजना? का नाम बदल दिया, तो क्या पंडित जवाहर लाल नेहरू जी का अपमान हो गया?? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा संकल्प है - गरीब का कल्याण। इसमें हमने उसी संकल्प को पूरा करने का प्रयत्न किया है।? (व्यवधान) न केवल गरीब का कल्याण, बल्कि उसके साथ गांव का संपूर्ण विकास, जो महात्मा गांधी जी कहते थे। एक सम्पूर्ण गांव, एक स्वावलंबी गांव और एक विकसित गांव के निर्माण का प्रावधान इसमें किया गया है। ? (व्यवधान) केवल प्रावधान ही नहीं, हमारी केन्द्र सरकार इस पर 95,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि खर्च करने का काम करेगी। गरीबों के कल्याण के लिए हमने यह भी तय किया है। ? (व्यवधान) कई बार बजट का असामान्य वितरण होता है, समान वितरण नहीं होता है। कई पंचायतें विकास में पीछे रह जाती हैं और इसलिए इसमें पंचायत का ग्रेडेशन करके, जो अविकसित पंचायतें हैं और कम विकसित पंचायतें हैं, उन्हें ज्यादा काम देने का प्रावधान भी किया गया है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह मानता हूं कि हम यह जो नया बिल लेकर आ रहे हैं, वह नया बिल गांव का संपूर्ण विकास करेगा। ? (व्यवधान) जब शरद पवार जी केन्द्रीय कृषि मंत्री थे, तब उन्होंने ही यह कहा था कि कृषि कार्यों के लिए, मनरेगा के काम के लिए मजदूर नहीं मिलते हैं।

-

13.00 hrs

हमने तो श्री शरद पवार जी की उस चिंता का भी समाधान करने का प्रयास किया है। ? (व्यवधान) इसलिए, मैं विस्तार से, जब इस बिल पर चर्चा होगी, तब अपनी बात कहूंगा। ? (व्यवधान) लेकिन, मैं फिर दोहरा रहा हूं कि बापू हमारे दिलों में बसते हैं और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। ? (व्यवधान) बापू ही कहते थे - ?राम राज्य? । ? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, राम हमारे रोम-रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। ? (व्यवधान) बिना राम के यह देश नहीं जाना जाता है। ? (व्यवधान) पता नहीं क्यों ?जी राम जी? नाम आ गया, तो ये भड़क गए। ? (व्यवधान) महात्मा गांधी जी स्वयं राम राज्य की स्थापना की बात करते थे और उनके अंतिम शब्द भी ?हे राम? थे। ? (व्यवधान) बापू जी का पूरा सम्मान करते हुए राम राज्य की स्थापना, मतलब ?दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा? - हर गरीब को भरपूर रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो, दिव्यांग, बुजुर्ग और महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति को और प्रोटेक्शन दिया जाए, इसके लिए हम यह बिल लेकर आए हैं। ? (व्यवधान) 125 दिनों की गारंटी है। ? (व्यवधान) यह कहीं पर कमजोर नहीं हुई।

? (व्यवधान) उस गारंटी को हम पूरा करेंगे। ? (व्यवधान) गांवों का संपूर्ण विकास भी करेंगे और कृषि और मजदूरी, दोनों में संतुलन स्थापित करने का काम करेंगे। ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, इसलिए, यह पूरा बिल महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना के लिए है। ? (व्यवधान) आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

> ?कि प्रत्येक ग्रामीण गृहस्थों को, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक सौ पच्चीस दिन की कानूनी गारन्टी मजदूरी नियोजन उपलब्ध कराकर, विकसित भारत @2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के साथ संरेखित ग्रामीण विकास कार्य ढांचे को स्थापित करने के लिए; समृद्ध और समनुत्थानशील ग्रामीण भारत के लिए सशक्तिकरण, विकास अभिसरण तथा संतृप्तिकरण का संवर्धन करने के लिए; तथा उससे ससंक्त या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए।?

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

माननीय अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब आप विधेयक को पुर:स्थापित करें।

? (व्यवधान)

श्री शिवराज सिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं।

माननीय अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही आज दो बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।